

प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 70/2026 (अपील सूचना का अधिकार)

जगदीश चन्द्र साहू पुत्र रामलाल साहू पता: 14/996, ग्लास फैक्ट्री, मेन रोड़,
उदयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), उदयपुर

.....प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 04/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/70/26/ 432-33 दिनांक 23.03.2026 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशा.) उदयपुर द्वारा जरिये पत्र क्रमांक प.41/2/लो.सू.अ./प्रथम अपील/70/26/610-11 दिनांक 01.04.2026 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2026 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। आवेदन पत्र में वर्णितानुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना का संबंध कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर से होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 130-31 दिनांक 29.01.2026 द्वारा उक्त कार्यालय को अन्तरित कर दिया गया एवं उक्त अंतरण के संबंध में प्रार्थी को भी सूचित कर दिया गया था। अतः प्रथम अपील निस्तारित करने की कृपा करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर से होने से प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र को दिनांक 29.01.2026 से संबंधित लोक



RajKaj Ref No.:
21982047
M e-Sign

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2026.05.04 09:18:27 IST
Reason: Approved

सूचना अधिकारी को निश्चित समयावधि में अंतरित कर दिया एवं उक्त अंतरण की सूचना से अपीलार्थी को भी अवगत करवा दिया गया। अपीलार्थी को अंतरण की सूचना प्रेषित किये जाने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।



(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलेक्टर, उदयपुर

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2026.05.08 09:18:27 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21982047
M e-Sign